HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17341/2026
CNR: RJHC021054832026 | URN: CRLMB / 31902U / 2026

Shyam Singh Shekhawat S/o Chhotu Singh Shekhawat, Aged About 54 Years, R/o Village Ramjipura Kalan, Police Station Renwal, District Jaipur Rural, At Present R/o Plot No. 133, 21 South Colony, Near Jyotipunj School, Jhotwara, Jaipur A Present Vanpal, Chowki Kala Mahadev, Opposite Jalmahal, Jaipur. (At Present Accused Petitioner Is Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17342/2026
CNR: RJHC021054112026 | URN: CRLMB / 31903U / 2026

Shivkishor S/o Radheshyam, Aged About 49 Years, R/o Shiv Colony, Near Mandawara Gate, Hindaun City, District Karauli. At Present Resident Of C-147 Vinayak Enclave, Agra Road, Jaipur, At Present Forest Guard, Naka Kala Mahadev, Jaipur (Raj.) (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ripudaman Singh Shekhawat Mr. Rajeev Kumar Sogarwal with Mr. N.K. Tiwari
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/11/2026

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सीपीएस जयपुर, जिला–एसीबी डिस्ट्रिक्ट में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु ये दो पृथक–पृथक प्रार्थनापत्र पेश किए गए हैं।

दोनों प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इनका निस्. तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **श्याम सिंह** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी वनपाल के पद पर कार्यरत था तथा परिवादी ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि वह नियम के विरुद्ध जाकर साढे 8 बजे वन क्षेत्र में वीडियो शूटिंग कर रहा था, जिसके लिए उसे अनुमति नहीं थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने 60,000/– रुपये की राशि की मांग की और 15,000/– रुपये शूटिंग जारी रखने के लिए प्राप्त किए, परंतु उससे ऐसी किसी प्रकार की कोई राशि बरामद नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। प्रार्थी दिनांक 08.10.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **शिव किशोर** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी वनरक्षक के पद पर कार्यरत था। उनका तर्क है कि प्रार्थी को किसी प्रकार की शूटिंग हेतु आज्ञा देने अथवा नहीं देने का कोई अधिकार नहीं था। उसके आधिपत्य से रिश्वत की 30,000/– रुपये की राशि बरामद होना बताया गया है। उनका तर्क है कि उसके विरुद्ध पूर्व की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। प्रार्थी दिनांक 08.10.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व को कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होने में और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी **श्याम** और **शिव किशोर**, जो कि क्रमशः वनपाल और वनरक्षक के पद पर थे, उन्होंने अवैधपूर्वक वन क्षेत्र में वीडियो शूटिंग करवाने के लिए अवैध राशि प्राप्त की है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण की रिश्वत की मांग के संबंध में लिप्यांतरण (Transcript) मौजूद है, साथ ही श्याम सिंह द्वारा 15 हजार रुपये प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति भी लिप्यांतरण में आई है। प्रकरण में अभी आरोप–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गंभीर अपराध के आक्षेप हैं, अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर परिवादी को वनक्षेत्र में अवैध तरीके से वीडियो शूटिंग करने देने की एवज में प्रार्थी श्याम सिंह द्वारा 15,000/– रुपये एवं प्रार्थी शिव किशोर द्वारा 30,000/–रुपये रिश्वत के रुप में प्राप्त करने के आरोप हैं। प्रार्थी–अभियुक्तगण से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी **श्याम और शिव किशोर**, जो कि क्रमशः वनपाल और वनरक्षक होकर सरकारी कर्मचारी हैं एवं दिनांक 08.10.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्. पणी किये बिना, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/66-67/NIMIT GOYAL